Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)** मुकाम **जोधपुर**

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार जोधपुर **बनाम** ग्राम पंचायत खातियासनी व अन्य

रेफरेंस प्रार्थना पत्र नं. 03 **सन् 2024**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.25	पत्रावली पेश हुई। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली का अवलोकन किया। भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 मे बताया गया है कि **"बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक या कलेक्टर किसी राजस्व न्यायालय या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी मामले या की गई कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, ताकि पारित आदेश की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सके और यदि उसकी यह राय है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या पारित आदेश में परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसे रद्द किया जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, तो वह मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड के आदेश के लिए निर्देशित करेगा।** प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि "ग्राम दांतीवाडा के खसरा संख्या 345 से रकबा 24.14 बीघा किस्म गै.मु. आगोर" का भू.राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग जिला खण्ड जोधपुर को आवंटन किया गया है। उक्त भुमि को कैचमेंट एरिया में बताया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार, शासन उप सचिव के पत्र संख्या 6(92)/राज/3/08 जयपुर दिनांक 27.07.2008 द्वारा खसरा संख्या 345 व खसरा संख्या 310 की भूमि की किस्म को खारिज करते हुए अप्रार्थी को भुमि भू.राजस्व अधिनियम 1963 के तहत निशुल्क आवंटन की तत्पश्चात आवंटन आदेश अप्रार्थी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला खण्ड जोधपुर के हक में श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक प.12(3–56) राज/आवं/08/6672 दिनांक 31.07.2008 द्वारा जारी किया गया। आवंटित भुमि के बदले ग्राम दांतिवाडा के ही खसरा संख्या 387, 389/3 में से रकबा 24 बीघा 14 बीस्वा भूमि गोचर घोषित की जा की चुकी है जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित एंव घोषित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया।	

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त आवंटित भूमि कैचमेन्ट एरिया मे ना होकर गै.मु.गोचर भूमि थी जिसकी किस्म शासन उप सचिव स्तर से परिवर्तित किये जाने के पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 31.07.2008 के द्वारा अप्रार्थी के हक में भूमि का आंवटन किया गया है तथा उक्त भूमि के बदले बराबर भूमि अन्य खसरे से गोचर आवंटन कि जा चुकि है। उक्त स्थिति में रेफरेन्स प्रकरण में उपरोक्तानुसार धारा 82 के तहत जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, चूंकि उक्त आवंटन आदेश श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा किया गया है अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के अधिकारिता में नहीं होने के कारण तहसीलदार जोधपुर को लौटाया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)